हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
11.5.2022	
प्रार्थीया के निवेदन पर पत्रावली आज पेश हुई। इस में लोकलीगोट प्राप्त हो चुकी है प्रार्थीया के निवेदन पर प्रार्थना पत्र को खुलवाने के प्रार्थीया ने स्वमति पूर्व में ही पेश कर चुकी है प्रार्थीया का प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 85 को स्वीकार किया जाता है विस्तृत निर्णय पृथक से लिखवाया जाकर हस्ताक्षर हस्ताक्षर कर। निर्णय किया जाकर पत्रावली फैसल शुमार होकर बाद पालना दाखिल रिकार्ड हो। उपखण्ड अधिकारी खींवसर (नागौर)	रीडर

पत्रावली पर मौजुद रेकर्ड एवं तहसीलदार खींवसर द्वारा प्रस्तुत रिपोर्ट/अप्रार्थी का पत्र एवं प्रार्थना पत्र का ध्यान पूर्वक अवलोकन किया गया तथा प्रार्थीगण की बहस किया गया ।

अतः हस्तगत प्रकरण रा.का.अ. की धारा 251 A में उल्लेखित रास्ता दिया हेतु इन तीन बिन्दूओं को देखा जाना आवश्यक है कि :–

आत्यंतिक आवश्यकता न केवल सुविधा :–

जरिये प्रार्थना पत्र एवं दौराने बहस प्रार्थी ने निवेदन किया की उसकी कृषिगत आवश्यकताओं को मध्य नजर रखते हुए उसे चाहे गये रास्ते की आंत्यतिक आवश्यकता है। हस्तगत पत्रावली में जाचं रिपोर्ट में यह दर्शाया गया है की उपरोक्त चाहे गए रास्ता ही एक मात्र रास्ता है।

2.वैकल्पिक साधनो का अभाव :–

प्रार्थीगण ने जरिये प्रा.पत्र दौराने बहस कथन किया कि अपने खेताय तक पहुँचनें के उसके पास कोई स्थायी रास्ता नहीं है। तहसीलदार खींवरार ने अपनी रिपोर्ट में यह भी अंकन नहीं किया की प्रार्थी को अपने खेत में करसण कार्य हेतु आने जाने के लिए अन्य रास्ता हो। प्रार्थीगण द्वारा चाहा गया रास्ता ही निकटतम एवं लघुतम रास्ता प्रतीत है और इस रास्ते के अलावा प्रार्थीगण के पास अन्य कोई वैकल्पिक रास्ता उपलब्ध नहीं उक्त रास्ता घोषित करने में प्रार्थीगण एवं अप्रार्थी सहमत है।

प्रश्नगत रास्ता निकटतम होना चाहिये :–

प्रश्नगत रास्ता निकटतम एवं सरल, सुगम होना चाहिये, तहसीलदार खींवसर की एवं नजरी नक्शा से यह साबित होता है कि उक्त प्रश्नगत रास्ता सरल सुगम है जो लदार खींवसर की मौका रिपोर्ट से ताईद होता है।

पत्रावली पर मौजुंद रेकर्ड, एवं अप्रार्थी की जाचं रिपोर्ट, प्रार्थीगण की बहस, अप्रार्थी का ते पत्र एवं प्रार्थीगण व अप्रार्थी की आपसी सहमति के आधार पर तहसीलदार खींवसर जाचं रिपोर्ट एवं जाचं रिपोर्ट के साथ प्रस्तुत नजरी नक्शा अनुसार प्रार्थी का प्रा.पत्र त धारा 251 **A** एलआरएक्ट को स्वीकार किया जाता है । तहसीलदार खींवसर को यह दिये जाते है कि :–

आदेश

प्रार्थीगण के मौजा नाहरसिंहपुरा के खेत खसरा नबंर 450 में एवं उसमें बनी रहवासी यों में आवागमन हेतु रास्ते की आंत्यतिक आवश्यकता व जरूरतों को देखते हुए प्रार्थीगण ा.पत्र अन्तर्गत धारा 251 **A** एलआरएक्ट को स्वीकार किया जाता है तथा खसरा नबंर में आवागमन हेतु खसरा नबंर 446,450 में तहसीलदार खींवसर की मौका रिपोर्ट में ा गये नजरी नक्शानुसार में A से B व B से C तक 20 फुट चौड़ा रास्ता घोषित किया हैं । अप्रार्थी अपने प्रभावित रकबे का प्रतिफल लेना नहीं चाहते है इस सबंध में अपनी ति न्यायालय में प्रस्तुत कर चुके है। उक्त रास्ते के सबंध में तहसीलदार खींवसर की पत्रांक/ कमांक/भू.अ./251 अ/2022/4568 दिनांक 07.04.2022 के साथ प्रस्तुत नक्शानुसार रास्ते का राजस्व रेकर्ड में अंकन एवं तरमीम किया जावें। उक्त रास्ते पर भी पक्षकारान का निजी स्वामित्व नहीं रहेगा । यह रास्ता एक सार्वजनिक रास्ता रहेगा सभी के उपयोग उपभोग में काम आयेगा। तहसीलदार खींवसर की उक्त जाचं रिपोर्ट में या गया नजरी नक्शा इस निर्णय का अभिन्न अगं रहेगा तथा इसी अनुसार आदेश की ना की जावें।

– **उपरोक्त खसरान पर किसी भी न्यायालय का स्थगन आदेश न हो तो उक्त आदेश की ना कर अवगत करावे।** खर्चा पक्षकारान अपना अपना वहन करें।

जीतू कुल्हरी RAS
(उपखण्ड अधिकारी)
खींवसर
उपखण्ड अधिकारी
खींवसर (नागौर)

उक्त निर्णय आज दिनांक : 11.04.2022 को सरे इजलास सुनाया गया ।

जीतू कुल्हरी RAS
(उपखण्ड अधिकारी)
खींवसर
उपखण्ड अधिकारी
खींवसर (नागौर)